राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 73/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सगीर मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी व तहसीलदार भीलवाड़ा।
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :28.10.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 01.09.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 95 जी 018202 के साथ एक आवेदन दिनांक 27.07.2022 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी व तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक 157 दिनांक 21.10.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक 121 दिनांक 29.07.2022 से अपीलार्थी को मूल ही लौटाया जाकर प्रार्थी को उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाकर सीधे ही प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाने से उक्त अपील अस्वीकार की जाती है। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह वांछित सूचना हेतु संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा